ग्राम पंचायत दभोटा, वि० ख० नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र० – 174101

के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दभोटा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री करनवीर सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरजीत कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री काबुल सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति बीना कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत दभोटा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	**12.71**
2.	4.2	दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत हस्तगत नकद शेष का पाया जाना	**0.33**
3.	6.1	अनुदान राशि का अवरोधन करना	**15.86**
4.	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**3.30**

5.	8.3	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को अनियमित भुगतान करना	**9.60**
6.	8.4	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.11**
7.	8.4	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**0.98**
8.	8.5	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**0.98**
9.	8.7	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**14.68**
10.	8.8	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना पाया जाना	**14.64**
11.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे	**0.18**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत दभोटा, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.02.2024 से 13.02.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	12/2022	04/2022
2023-24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer): - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 14/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 53 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 02/2025 दिनांक 01.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से

ट

31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1673001.53	265724.00	1938725.53	216191.02	1722534.51
2023-24	1722534.51	54463.00	1776997.51	385072.14	1391925.37

2. (क) अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	4529303.44	5900768.14	10430071.58	6705413.56	3724658.02
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	976347.24	3650633.55	4626980.79	3040633.76	1586347.03

2 (ख) अनुदान

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2023-24 (14वां वित्तायोग)	81491.48	0.00	81491.48	0.00	**81491.48**
2023-24 (15वां वित्तायोग)	2666819.30	735726.00	3402545.30	1334003.00	**2068542.30**

कुल योग (1+2क व 2 ख) = 1391925.37+ 1586347.03+81491.48+2068542.30 +32883 (नगदशेष)= **5161189.18**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹51,61,189.18** तथा बैंक खातों की राशि के अन्तशेष **₹ 38,90,603.77 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 5TH SFC, 14TH FC, NRHM, SBM, 13TH FC,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000126	1503634.43
2	IWDP	ICICI बैंक लिमिटेड. नालागढ़	372701000151	1.00
3	SBM	ICICI बैंक लिमिटेड. नालागढ़	372701000157	0.00
4	MPLADS, MMGPY, SBM, 13TH FC, VKVMY, VMJS	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, ADB नालागढ़	55106807029	327008.04
5	14TH FC	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	102134022100005	0.00
6	14TH FC	Axis बैंक लिमिटेड, नालागढ़	920010056169885	37739.00
7	15TH FC, सभा निधि / SF,	ICICI बैंक लिमिटेड. नालागढ़	372701000348	2022221.30
			जोड़ (क)	**3890603.77**
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				**5161189.18**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				**3890603.77**
			अंतर :-	**1270585.41**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹12.71 लाख का अन्तर पाया जाना :-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹ 1270585.41** की राशि का अन्तर पाया गया इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा

रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत राशि ₹0.33 लाख हस्तगत नकद शेष का पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पँचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया सभा निधि व 13वां वित्त आयोग की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर दिनांक 31.03.2024 को प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि ₹32,883.00 को हस्तगत रखा गया था, जो की एक अति गम्भीर अनियमितता है जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 54 दिनांक 13.02.2025 द्वारा उत्तर दिया गया की ह्स्तशेष नगद राशि को रोकड़ बही में अधिक दर्शाया गया है जबकि इतनी राशि वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसे reconcile करके वास्तविक नगद शेष राशि बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा । प्रत्युत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है ।

अतः उपरोक्त बकाया हस्तगत नकद शेष को बैंक में जमा करवाकर, रोकड़ बही में उचित तरीके से इन्द्राज किया जाए व निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गम्भीर अनियमितता की विभागीय स्तर पर सभा निधि की रोकड़ बहियों की जांच की जाये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा उत्तर दिया गया किं खाता बही अपूर्ण है भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण वर्गीकृत सार तैयार नहीं किया गया है भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.5 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना व एक योजना के एक से अधिक खाते खोलना : -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये है व कुछ योजनाओं के लिए एक से अधिक खातों का प्रयोग किया जा रहा है, जो की अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या
1	सभा निधि / SF	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000126
	5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)		
	14 वा वित्तायोग		
	नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM		
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
	13 वा वित्तायोग		
2	इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम	ICICI बैंक लिमिटेड. नालागढ़	372701000151
3	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	ICICI बैंक लिमिटेड. नालागढ़	372701000157
4	मेंबर ऑफ़ पार्लेमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, ADB नालागढ़	55106807029
	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)		
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
	13 वा वित्तायोग		
	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)		
	विकास में जन सहयोग (V.M.J.S.)		
5	14 वा वित्तायोग	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	102134022100005
6	14 वा वित्तायोग	Axis बैंक लिमिटेड, नालागढ़	920010056169885
7	सभा निधि / SF	ICICI बैंक लिमिटेड. नालागढ़	372701000348
	15 वा वित्तायोग		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 54 दिनांक 13.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर व एक योजना केवल एक ही खाते का प्रयोग किया जाये व एक से अधिक खातों को बन्द करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता

अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के आय-व्यय का लेखांकन सभा निधि रोकड़ बही में किया जा रहा है ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 54 दिनांक 13.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.7 14वां वित्त आयोग के बैंक खाते से ₹0.21 लाख की राशि को सभा निधि के खाते में स्थानान्तरण बिना किसी प्रशसनिक अनुमति के करना, व इस राशि के स्थानान्तरण को सम्बन्धित रोकड़ बही में ना दर्शाना : -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान 14वां वित्त आयोग (14th FC) रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि बैंक खाते से **₹21,394.68** की राशि को सभा निधि के खाते में स्थानातरित किया गया था, जिसकी किसी प्रकार कि कोई प्रशासनिक अनुमति नही ली गई थी व इस

राशि को रोकड़ बही में बही इन्द्राज नही किया गया है जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है : -

अनुदान खाता सं०	रोकड़ बही वॉचर संख्या /दिनांक	बैंक में स्थानान्तरण दिनांक	इन्द्राज की गई राशि (₹)	टिप्पणी
102134022100005	रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं है	31.03.202	21,394.68	Amount transferred to Own Fund only in Bank, not in cash book
101334022000126	रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं है	31.03.202	21,394.68	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 54 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि 14 वें वित्तायोग के बैंक खाते से ₹21,394.68 की राशि को सभा निधि के बैंक खाते में बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के स्थानातरित जानकारी के अभाव के कारण हुई है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर 14वां वित्त आयोग (14^{th}FC) रोकड़ बही व खातों की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त

निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹15.86 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 03/2025 दिनांक 01.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹15,86,347.03** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-

4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (**Update**) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹3.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2025/दभोटा दिनांक 01.02.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 43 दिनांक 10.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹100/- प्रति परिवार व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹3,30,024.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, कि तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में

लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 दुकानों के किराये से आय:-

(क) दुकानों का किराया ₹ 0.26 लाख वसूली हेतु शेष :-

सचिव ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 को निम्न विवरणानुसार **₹26,000.00** दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे ।

वर्ष	अथ शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2022-23	2000.00	12000.00	14000.00	0.00	14000.00
2023-24	14000.00	12000.00	26000.00	0.00	26000.00

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 10/2025/दभोटा दिनांक: 11.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दभोटा को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 56 दिनांक: 13.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वर्णित राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किये जायेंगे । अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

(ख) दुकान के किरायेदारों के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत दभोटा के अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ज्ञापन संख्या 10/2024/दभोटा दिनांक 13.02.2025 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 56 दिनांक 01.08.2024 द्वारा दिए गये विवरण अनुसार दुकान के

किरायेदार के साथ किराये के सम्बन्ध में या तो कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन नही किया गया है या अनुबन्ध 2011 व 2014 मे किये गये है और न ही पंचायत के पास इससे सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात माहवार दर, सम्बन्धित रजिस्टर लेजर तथा नियम व शर्ते इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव नही हो सकी।

अत: दुकान के किरायेदार के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹0.05 लाख के राजस्व की हानि:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गयी दुकानों के किरायेदारों से देय किराये पर GST की वसूली नही की जा रही है, जबकि नियमानुसार दुकानों के किराये पर @18% GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी अंकेक्षण को उक्त पैरा संख्या 7.2 (क) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, ग्राम पंचायत की अवधि 2022-23 और 2023-24 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल मांग ₹26,000/- पर देय GST 18% of ₹ 26,000/- = ₹ 4,680/- की वसूली उपरांत इसे सम्बंधित विभाग में जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नियमो के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा देय किराये पर GST की वसूली नही की गई जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

वर्ष	दुकान किराये के रूप में वार्षिक मांग (₹)	18% की दर से बकाया GST की राशि (₹)
2022-23	14,000.00	2,520.00

2023-24	12,000.00	2,160.00
कुल	**₹ 26,000/-**	**₹ 4,680/-**

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 10/2025/दभोटा दिनांक: 11.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दभोटा को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 56 दिनांक: 13.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली, इस सन्दर्भ में ज्ञान के अभाव के कारण नही की जा सकी। जिसे वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व आगे से मासिक किराये की वसूली GST सहित की जाएगी।

अत: दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.07 लाख के व्यय करना व ₹0.10 लाख कि राशि को रोकड़ बही में इन्द्राज न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹10,119.00** का व्यय किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ड़ "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया

जा सकता। जिसमें से विभिन्न रसीदों से प्राप्त **₹23,346.00** की राशि नगद रूप में वसूल कि गई थी, जिसमें से केवल **₹9,378.00** की राशि को रोकड़ बही में इन्द्राज करना जिसका विवरण निम्न है : -

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया	राशि (₹)	टिप्पणी
1	OWN/2022-23/R/3	31.07.2022	Marriage Fee & House Tax	1040	रसीद संख्या अन्कित ना करने के कारण, स्पष्ट नहीं हो सका कि कितनी राशि किस सूत्र से प्राप्त हुई है
2	OWN/2022-23/P/14	06.02.2023	House Tax, Marriage Fee & Diff. Receipt	2150	
3	OWN/2023-24/P/2	15.06.2023	House Tax	1000	
4	OWN/2023-24/P/3	17.06.2023	Marriage Fee & Other	2158	
5	OWN/2023-24/P/10	26.03.2024	Marriage Fee & House Tax	3030	
			कुल योग	**9378**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/दभोटा दिनांक 11.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 51 दिनांक 11.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त वर्ष 2022 -23 व 2023-24 में कुल ₹10,119/- की राशि का भुगतान नगद रूप से किया गया है जो की इससे सम्बन्धित जानकारी के आभाव के कारण हुआ है, भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा । व रसीद संख्या 125101 से 125200 में ₹ 16,694/- राशि की व रसीद संख्या 125001 से 125032 तक में ₹ 6,652/ - राशि कि प्राप्ति कि गई है, जो कि कुल ₹23,346/- की राशि नगद रूप में वसूली कि गई है, इस सीधे नगद रूप में खर्च किया गया है व जिसे हस्तलिखित रोकड़ बही में अन्कित किया गया है, लेकिन इस राशि

को आंशिक रूप में Online रोकड़ बही में अन्कित किया गया है और गलती से कुछ राशि की Entries को Online रोकड़ बही में इन्द्राज करना शेष है, जिन्हें Reconcile करके इन्द्राज करके व वकाया राशि को बैंक में जमा करवाकर, आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY) के अंतर्गत राशि ₹0.04 लाख के अनियमित भुगतान बारे

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचरों से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं बैंक प्रविष्टियों के अवलोकन पर राशि **₹4,497.00** का अपेक्षाकृत अनियमित भुगतान पाया गया जिसका ना तो बिल व न ही सम्बन्धित वोउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिससे यह भुगतान प्रथम दृष्टी में अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

रोकड़ बही वॉचर संख्या /दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल व चलान संख्या / दिनांक	बिलों में इन्द्राज की गई राशि (₹)	वाउचर द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	अनियमित व अधिक भुगतान (₹)
VKVNY/2023-24/P/18 - 28.03.2024	HPSCSCL, नालागढ़	CS040-23-0453628 06.12.2023	10657.00		4497.00
	HPSCSCL, नालागढ़	Delivery Challan 17624	97796.00	11 3 450.00	
		कुल राशि	**108453.00**	**11 3 450.00**	**4497.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 54 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ मे HPSCSCL, नालागढ़ से पत्राचार करके, अधिक किये गये भुगतान को आगामी सीमेंट के बिलों में समायोजित करके उचित दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेगे।

इस अनियमित किये गये भुगतान को समर्थित अभिलेख सहित करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त प्रकरण पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकार के अन्य मामले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिस कारण विभागीय स्तर पर रोकड़ बहीयों कि विस्तृत जाँच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

8.3 वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹9.60 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

अवधि 04/2022 से 03/2024 में रेत,बजरी व पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु खरीद की गई निर्माण सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "X"या "W" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को संलग्न विवरण अनुसार ₹**9,60,067.15** का अनियमित भुगतान किया गया । जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 13/2025/दभोटा दिनाँक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दभोटा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा क्रमांक संख्या 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा सम्बन्धी आपूर्तिकर्ता से उचितं फार्म को प्रस्तुत करने को कहा जायेगा व आगामी अंकेंक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायगा व भविष्य में बिना ट्रांजिट पास के किसी भी खनन सामग्री के बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि क्रय की गई रेत व बजरी से संबधित फार्म w या x अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.4 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.11 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारेः-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक

29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्यय चयनित माह 04/2022 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹5,45,439.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी., टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹10,908.78** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक

13.02.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी., टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने के उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी., टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 अग्रिम राशि ₹0.98 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 04/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को सीमेंट के

क्रय हेतु राशि **₹97,796.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 राशि ₹0.98 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 04/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित मूल बिल

(Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ के Delivery/Transfer Challan के आधार पर **परिशिष्ट " ज "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹ 97,796.00** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नालागढ़ से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया

जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

8.7 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹14.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹14,67,765.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट – "झ"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में

नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.8 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹14.64 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।
अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थायी स्टॉक रजिस्टर असंधारित है जिसके अभाव में चयनित व्यय माह 05/2022 एवं 06/2023 के बिल /वाउचरों के अनुसार पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹14,64,005.00** के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री/भंडार के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के अर्न्तगत व्यय राशि ₹0.01 लाख का अनियमित व संदिग्ध भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 74 के तहत कपटपूर्ण / असावधानी के कारण ग्राम पंचायत को हुई हानि का जिम्मेवार ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अधिकारी / पदाधिकारी होगा ।

अंकेक्षण के समय सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में पाया गया कि मनरेगा के कार्यों के निष्पादन हेतु जरी मस्टरोल में मस्ट्रोल प्रभारियों द्वारा कपटपूर्वक / असावधानी से श्रमिकों को मस्ट्रोल कि प्रिंटिंग दिनांक को ही कार्य पर उपस्थित दर्शाया गया है, जबकि मस्ट्रोल प्रिंटिंग के उपरांत खण्ड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्ट्रोल को जारी करके ग्राम पंचायत को भेजा जाता है व उसके उपरान्त ग्राम पंचायत के मनरेगा मस्ट्रोल रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत मस्ट्रोल कार्य प्रभारी को सौंपा जाता है । इस प्रकार श्रमिकों कि हाजरी मस्ट्रोल प्रिंटिंग को दिनांक को ल्याया जाना संदिग्ध / आपत्तिजनक प्रतीत होता है, जिस राशि **₹1,214.00** का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट – "ट"** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/दभोटा दिनांक 11.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 52 दिनांक

11.02.2025 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि इस सन्दर्भ में ग्राम रोजगार सेवक से चर्चा कर ली गई है व उन्होंने इस अनियमित भुगतान को स्वीकार किया है जो कि गलती से किया गया है, जिसकी वसूली करके, अनुपालना आगामी अंकेंक्षण मे प्रस्तुत कर दी जायगी व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः मनरेगा के अर्न्तगत इस प्रकार के अन्य भुगतानों से भी इनकार नहीं किया जा सकता व इस प्रकार के मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.46 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई

सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि **₹46,366.05** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/दभोटा दिनांक 11.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 52 दिनांक 11.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस सन्दर्भ में ग्राम रोजगार सेवक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने गलती के स्वीकार किया है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा । प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/दभोटा दिनांक 31.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 01.01.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.04 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹3,600.00** वसूली हेतु शेष है जिसका

विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ड"** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/दभोटा दिनांक 10.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 50 दिनांक 11.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं किया गया तथा उक्त राशि को पंचायत द्वारा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त करके सभा निधि खाता में जमा करवा कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.18 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹17,650.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ढ"** पर संलग्न है को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/दभोटा दिनांक 10.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 50 दिनांक 11.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थी परन्तु माप

पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29(4)	08

5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	वेतन जांच रजिस्टर	58	18
9.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
10.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
11.	लेखन सामग्री रंजिस्टर	72 (1)	28
12.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
13.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
14.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	35	06
4.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
5.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08

6.	कर रजिस्टर	34	16
7.	विकास कार्यों का लेखा-जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 115(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2025/दभोटा दिनांक 10.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 11.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2025/दभोटा दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 55 दिनांक 13.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 11.4.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

2238-2242 का0/प्रति 16 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 67/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हि0प्र0।
5. **पंजीकृत** सचिव, ग्राम पंचायत दभोटा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 11.4.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्रति

परिशिष्ट " क " , पैरा संख्या " 4क व 6.1 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP DABHOTA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES, BBNDA

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1673001.53	265724.00	1938725.53	216191.02	1722534.51
2023-24	1722534.51	54463.00	1776997.51	385072.14	1391925.37

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	4529303.44	5900768.14	10430071.58	6705413.56	**3724658.02**
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	976347.24	3650633.55	4626980.79	3040633.76	**1586347.03**

ONLINE AUDIT						
GRANTS-IN AID	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
14TH FC	**2023-24**	81491.48	0.00	81491.48	0.00	**81491.48**
15TH FC	**2023-24**	2666819.30	735726.00	3402545.30	1334003.00	**2068542.30**

परिशिष्ट " ख ", पैरा संख्या " 5क 9 6.1 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP DABHOTA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2022-23	314843.00	247245.00	562088.00	318800.00	243288.00
		2023-24	243288.00	461129.00	704417.00	262400.00	442017.00
2	VKVNY	2022-23	602727.96	1605158.64	2207886.60	1837649.36	370237.24
		2023-24	370237.24	2777957.00	3148194.24	2366686.21	781508.03
3	SBM	2022-23	182910.00	0.00	182910.00	0.00	182910.00
		2023-24	182910.00	0.00	182910.00	0.00	182910.00
4	VMJS	2022-23	7397.00	0.00	7397.00	0.00	7397.00
		2023-24	7397.00	0.00	7397.00	0.00	7397.00
5	IWDP	2022-23	129615.00	0.00	129615.00	0.00	129615.00
		2023-24	129615.00	0.00	129615.00	0.00	129615.00
6	13TH FC	2022-23	42900.00	0.00	42900.00	0.00	42900.00
		2023-24	42900.00	0.00	42900.00	0.00	42900.00
7	MNREGA	2022-23	0.00	761336.50	761336.50	761336.50	0.00
		2023-24	0.00	411547.55	411547.55	411547.55	0.00
8	14TH FC	2022-23	111234.48	0.00	111234.48	29743.00	81491.48
9	15TH FC	2022-23	3137676.00	3287028.00	6424704.00	3757884.70	2666819.30

ONLINE AUDIT 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2023-24	81491.48	0.00	81491.48	0.00	81491.48
2	15TH FC	2023-24	2666819.3	735726.00	3402545.30	1334003.00	2068542.30

परिशिष्ट "ग", पैरा सं० "4 (ख)" के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत दभोटा, विकास खण्ड नालागढ़ ज़िला सोलन, हि०प्र०, पिन-174101

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत दभोटा के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 5TH SFC, 14TH FC, NRHM, SBM, 13TH FC,	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000126	1503634.43
2	IWDP	ICICI बैंक लिमिटेड, नालागढ़	372701000151	1.00
3	SBM	ICICI बैंक लिमिटेड, नालागढ़	372701000157	0.00
4	MPLADS, MMGPY, SBM, 13TH FC, VKVMY, VMJS	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, ADB नालागढ़	55106807029	327008.04
5	14TH FC	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	102134022100005	0.00
6	14TH FC	Axis बैंक लिमिटेड, नालागढ़	920010056169885	37739.00
7	15TH FC, सभा निधि / SF,	ICICI बैंक लिमिटेड, नालागढ़	372701000348	2022221.30
			जोड़ (क)	3890603.77
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-			5161189.18
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			3890603.77
			अंतर :-	1270585.41

सुरजीत कुमार

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 7.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा क्षेत्र के पंजीकृत निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 1078 से ₹ 100/- प्रति परिवार तथा 2023-24 में 1078 परिवारों का ₹ 100/- प्रति परिवार, प्रति वर्ष की दर से लगाया गया है। यह डाटा ऑनलाइन परिवार रजिस्टर अनुसार है, व रजिस्टर असन्धारित है

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 1,14,424.00	1078	₹ 100.00	₹ 1,07,800.00	₹ 2,22,224.00	₹ 0.00	₹ 2,22,224.00
2023-24	₹ 2,22,224.00	1078	₹ 100.00	₹ 1,07,800.00	₹ 3,30,024.00	₹ 0.00	₹ 3,30,024.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹3,30,024/-** है।						

सुनील कुमार

परिशिष्ट " 5. ", पैरा संख्या " 4.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में स्वतः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 0.07 लाख के व्यय करने का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/10	31.07.2022	Office Expenditure	1000
2	OWN/2022-23/P/22	23.02.2023	Office Expenditure	1999
3	OWN/2023-24/P/7	03.06.2023	Paid Shoolni Mela	1000
4	OWN/2023-24/P/8	03.06.2023	Office Expenditure	2360
5	OWN/2023-24/P/26	26.03.2024	Paid Bill Office Expenditure	3760
			कुल योग	7120

10119

गुरजीत कुमार

परिशिष्ट "चे", पैरा संख्या "8.3" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान ₹ 09.60 लाख राशी के बिलों के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०स	आपूर्तकर्ता	वा ०स ० /दिनाक	बिल स० /दिनाक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	टाजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
		अनुदान	15TH FC						
1	NARINDER SINGH	XVFC/2022-23/P/13 - 14/06/2022	BILL NO 177 - 04/06/2022	STONE dust	800	CFT	26.5	25725.00	उपलब्ध नही है।
				washing sand	100	CFT	31.5		
				Aggrigate	50	CFT	31.5		
		XVFC/2022-23/P/14 - 14/06/2022	BILL NO 179 - 06/04/2022	STONE dust	650	CFT	26.5	23362.00	उपलब्ध नही है।
				washing sand	100	CFT	31.5		
				Agg.	100	CFT	30		
2	NARINDER SINGH	XVFC/2022-23/P/21 - 16/07/2022	BILL NO 195 - 20/06/22	Aggrigate 40 MM	2700	CFT	15	42525.00	उपलब्ध नही है।
3	NARINDER SINGH	XVFC/2022-23/P/33 - 20/07/2022	BILL NO - 01/08/2022	Aggrigate 40 MM	2704	CFT	15	40560.00	उपलब्ध नही है।
		XVFC/2022-23/P/34 - 31/08/2022	BILL NO 202 - 25/08/2022	Washing Sand	150	CFT	30	29373.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate 40 MM	285	CFT	35		
				STONE dust	540	CFT	25		
4	J.S ENTERPRISES	XVFC/2022-23/P/37 - 8/10/2022	BILL NO 1 - 25/07/2022	Washing Sand	63	CFT	30	30187.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	120	CFT	30		
				STONE Dust	550	CFT	25		
				Earth Filling	730	CFT	13		
		XVFC/2022-23/P/38 - 8/10/2022	BILL NO 2 - 25/07/2022	Washing Sand	56	CFT	30	19852.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	100	CFT	30		
				STONE Dust	560	CFT	25		
5	J.S ENTERPRISES	XVFC/2022-23/P/43 - 06/11/2022	BILL NO 26 - 25/10/2022	STONE Dust	625	CFT	25	21147.00	उपलब्ध नही है।
				Washing Sand	54	CFT	35		
				Aggrigate	75	CFT	35		
		XVFC/2022-23/P/47 - 24/11/2022	BILL NO 29 - 25/10/2022	Washing Sand	40	CFT	35	17325.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	70	CFT	30		
				STONE Dust	520	CFT	25		
		XVFC/2022-23/P/50 - 24/11/2022	BILL NO 58 - - 25/11/2022	Washing Sand	20	CFT	30	10679.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	34	CFT	30		
				Stone Dust	342	CFT	25		
		XVFC/2022-23/P/51 - 24/11/2022	BILL NO 59 - - 25/11/2022	Washing Sand	24	CFT	30	11133.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	45	CFT	30		
				Stone Dust	340	CFT	25		

6	J P RANAUT SERVICES	XVFC/2022-23/P/58 - 30/12/2022	BILL NO 91 - 06/01/2023	Washing Sand	25.6	CFT	30	15452.85	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	48.3	CFT	30		
				STONE Dust	500	CFT	25		
7	J S ENTERPRISES	XVFC/2022-23/P/72 - 25/02/2023	BILL NO 80 - 25/02/2023	Washing Sand	93	CFT	30	16380.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	170	CFT	30		
				Gatka	514	CFT	15		
8	J P RANAUT SERVICES	XVFC/2022-23/P/79 - 25/01/2023	BILL NO 109 - NA	SAND	120	CFT	31.5	5622.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	50	CFT	31.5		
		XVFC/2022-23/P/80 - 25.03.2023	BILL NO 107 - 20/02/2023	SAND	37	CFT	31.5	2115.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	27	CFT	31.5		
		XVFC/2022-23/P/81 - 25.03.2023	BILL NO 108 - 20/02/2023	SAND	25	CFT	31.5	11791.00	
				Aggrigate	48	CFT	31.5		
				STONE dust	337	CFT	26.5		
9	J P RANAUT SERVICES	XVFC/2023-24/P/6 - - 25/05/2023	BILL NO 112 - 10/04/2023	SAND	60	CFT	31.5	21987.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	100	CFT	31.5		
				STONE Dust	600	CFT	26.5		
		XVFC/2023-24/P/10 - - 21/06/2023	BILL NO 124 - 16/05/2023	SAND	20	CFT	31.5	12521.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	30	CFT	31.5		
				STONE Dust	390	CFT	26.5		
		XVFC/2023-24/P/9 - - 21/06/2023	BILL NO 123 - 16/05/2023	SAND	35	CFT	31.5	15575.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	70	CFT	31.5		
				STONE Dust	435	CFT	26.5		
10	J S ENTERPRISES	XVFC/2023-24/P/17 - - 22/08/2023	BILL NO 37- 02/06/2023	STONE Dust	175	CFT	25	5895.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	28	CFT	30		
				Washing Sand	15	CFT	30		
11	B S TILS	XVFC/2023-24/P/26 - - 02/12/2023	BILL NO 56 - 12/10/2023	Washing Sand	13	CFT	31.5	6822.00	उपलब्ध नही है।
				Aggrigate	25	CFT	31.5		
				STONE Dust	200	CFT	26.5		
12	B S TILS	XVFC/2023-24/P/33 - - 27/01/2024	BILL NO 93 - 18/12/2023	STONE Dust	460	CFT	25.25	17551.00	उपलब्ध नही है।
				Washing Sand	50	CFT	30		
				Aggrigate	120	CFT	30		
		XVFC/2023-24/P/38 - - 23/02/2024	BILL NO 94 - 09/01/2024	STONE Dust	450	CFT	25.25	16498.00	उपलब्ध नही है।
				Washing Sand	50	CFT	30		
				Aggrigate	95	CFT	30		

-49- 50

		अनुदान	VKVNY						
13	NARINDER SINGH	VKVNY/2022-23/P/4-31/07/2022	BILL NO 197- 20/07/2022	Earth Filling	5700	CFT	13	74100.00	उपलब्ध नही है
		VKVNY/2022-23/P/6-06/09/2022	BILL NO 199 - 20/07/2022	SAND	65	CFT	31.49	31597.00	उपलब्ध नही है
				STONE Dust	1000	CFT	25		
				Bolder Stone	700	CFT	6.5		
			BILL NO 105 - 06/07/2022	STONE Dust	200	CFT	25	6667.50	उपलब्ध नही है
				Aggrigate	30	CFT	30		
				Washing Sand	15	CFT	30		
	J P RANAUT SERVICES		BILL NO 92 - 16/01/2022	GRAVAR	732	CFT	13.65	9991.80	उपलब्ध नही है
14	J P RANAUT SERVICES	VKVNY/2023-24/P/1 - 06/09/2022	BILL NO 113 - 05/04/2024	STONE Dust	1850	CFT	26.5	62391.00	उपलब्ध नही है
				Aggrigate	220	CFT	31.5		
				Washing Sand	110	CFT	31.5		
15	B S TILS	VKVNY/2023-24/P/7-06/09/2022	BILL NO 47- 23/11/2023	Aggrigate	53	CFT	30	16506.00	उपलब्ध नही है
				Washing Sand	84	CFT	30		
				STONE Dust	460	CFT	25.24		
		VKVNY/2023-24/P/7-23/11/2023	BILL NO 51- 16/10/2023	Washing Sand	127	CFT	31.5	18606.00	उपलब्ध नही है
				Aggrigate	195	CFT	31.5		
				Aggrigate	12	CFT	31.5		
				Soling	360	CFT	20		
		VKVNY/2023-24/P/9-11/12/2023	BILL NO 59- 04/12/2023	Gatka	4000	CFT	15	63000.00	उपलब्ध नही है
		VKVNY/2023-24/P/9-28/03/2024	BILL NO 122	Washing Sand	20	CFT	30	12486.00	उपलब्ध नही है
				Aggrigate	40	CFT	30		
				STONE Dust	400	CFT	25.25		
			BILL NO 123	Washing Sand	970	CFT	30	79282.00	उपलब्ध नही है
				Aggrigate	110	CFT	30		
				STONE Dust	1380	CFT	25.25		
				Gatka	480	CFT	17.21		
			BILL NO 124	Washing Sand	3000	CFT	30	165362.00	उपलब्ध नही है
				Aggrigate	225	CFT	30		
				Gatka	2500	CFT	26		
							कुल राशि	**960067.15**	

परिशिष्ट " ट " , पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 02/2022 के सभी अनुदानों व 03/2024 के दोरान 15 वाँ आयोग के अतिरिक्त के वोउचरों में स्रोत पर आयकर की कटौती न करके के कारण ₹ 0.11 लाख की वसूली न करने की सूची

क्र०सं०	काम का नाम	ऑन्लाइन वा० सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं० / दिनांक	मद का नाम मात्रा	संख्या	दर	कुल राशी	ब्यय राशी	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
1	नि० लिंक रोड कवृस्थान व सम्शानघाट माजरी भांगला	VKVNY/2023-24/P/16 - 22.03.2024	M/s Choudhary Pipe & Tile Industry	425 - 27.02.2024	Interlock tiles 80mm	17125	14.02	283309	283309	2%	5666.18
2	नि० गली व नाली दर्शन सिंह के घर से मैन रोड दभोटा तक	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	122 - Not mentioned	W/Sand	20 CFT	30	12486	12486	2%	249.72
					Bajri 20 mm	40 CFT	30				
					Stone Dust	400 CFT	25.23				
3	नि० लिंक रोड कवृस्थान व सम्शानघाट माजरी भांगला	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	123 - Not mentioned	W/Sand	970 CFT	30	79282.11	79282	2%	1585.64
					Bajri 20 mm	110 CFT	30				
					Stone Dust	13080 CFT	25.23				
					Gatka 40mm	480 CFT	17.21				
4	नि० लिंक रोड के साथ राटेनिंग वाल गाँव माजरी	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	124 - Not mentioned	W/Sand	3000 CFT	30	170362	170362	2%	3407.24
					Bajri 20 mm	225 CFT	30				
					Gatka 40mm	25 CFT	17.21				
					Cement Carrage	240	NA				
										कुल राशि	**10908.78**

सुरजीत कुमार

परिशिष्ट " ज " , पैरा संख्या " 8.5.98.6 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के चयनित माह 04/2022 के दौरान सभी अनुदानों व 2023-24 के चयनित माह 03/2024 में 15 वाँ आयोग के अतिरिक्त सभी अनुदानों के अंतर्गत बिना मूल बिलों के ₹ 0.98 लाख की सामग्री के भुगतान की सूची जिसका एक वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया है व राशि ₹0.98 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत की सूचि

क्र० सं०	काम का नाम	ऑन्लाइन वा० सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	चालान सं० / दिनांक	मद का नाम मात्रा	संख्या	दर	कुल राशी	व्यय राशी
1	नि० लिंक रोड के साथ राटेनिंग वाल गाँव माजरी	VKVNY/2023-24/P/18 - 28.03.2024	HPSCSCL	17624 dt.	Cement	280 बैग	348.47	97796.00	97796.00
								कुल राशि	97796

हरजीत कुमार

परिशिष्ट " इ ", पैरा संख्या " 8.7 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा माह 04/2022 सभी अनुदानों में व 03/2024 के दोरान 15 वाँ आयोग के अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक ₹ 14.68 लाख की की सूची

क्र०सं०	शीर्ष	काम का व्योरा	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	15TH FC	नि ० टाइल गली मैन सड़क से जगदीश हाउस, दभोटा	XVFC/2022-23/P/4 - 27.04.2022	B.S. TILES	13 - 19.03.2022	Interlock tiles 60mm	12900	13	197686	197886	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
2	15TH FC	नि ० टाइल गली नाथू राम के घर से लिंक रोड तक, माजरी	XVFC/2022-23/P/5 - 27.04.2022	Thakur Tiles Ind.	473 - 17.03.2022	Interlock tiles 80mm	11000	14	181720	181720	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
3	15TH FC	नि० सीवरेज पाइप लिएन सिम्बा बस्ती दभोटा	XVFC/2022-23/P/6 - 27.04.2022	M.S. Enterprises	355 - 29.03.2022	RCC Pipe 200 mm	85	1000	100300	100300	निविदायें प्रस्तुत नही की गई
4	15TH FC	नि० सीवरेज पाइप लिएन SC बस्ती दभोटा	XVFC/2022-23/P/7 - 28.04.2022	M.S. Enterprises	362 - 29.03.2022	RCC Pipe 200 mm	31	1000	116230	116230	निविदायें प्रस्तुत नही की गई
						RCC Pipe 250 mm	54	1250			
5	15TH FC	नि ० टाइल गली मैन सड़क से राम सिंह हाउस, दभोटा	XVFC/2022-23/P/9 - 28.04.2022	R.S. Pipes	1807 - 25.03.2022	Interlock tiles 80mm	3000	14	49560	198240	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
					1806 - 25.03.2022	Interlock tiles 80mm	3000	14	49560		
					1808 - 29.03.2022	Interlock tiles 80mm	3000	14	49560		
					1809 - 29.03.2022	Interlock tiles 80mm	3000	14	49560		
6	OWN	नि० समूदाइक शोचालय नजदीक गुरुद्वारा रतयोड बोदला	OWN/2022-23/P/1 - 29.04.2022	Goyal Traders	004/2022-23 - 06.04.2022	Almunium Doors & Window for bathroom Door	32.50 CFT	280.05	10740	10740	निविदायें प्रस्तुत नही की गई
7	OWN	ग्राम सभा दिनांक 14.01.2024	OWN/2023-24/P/26 - 26.03.2024	राज कुमार स्वीट शॉप	8 - 25.03.2024	चाय, समोसा, दिस्पुज्ब्ल कप व प्लेट	180 *3, 160	10, 10, 11	3760	3760	निविदायें प्रस्तुत नही की गई, व बिना GST बिल के भुगतान करना
8	VKVNY	नि० लिंक रोड कवृस्थान व सम्शानघाट माजरी भांगला	VKVNY/2023-24/P/16 - 22.03.2024	M/s Choudhary Pipe & Tile Industry	425 - 27.02.2024	Interlock tiles 80mm	17125	14.02	283309	283309	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
9	VKVNY	नि० गली व नाली दर्शन सिंह के घर से मैन रोड दभोटा तक	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	122 - Not mentioned	W/Sand	20 CFT	30	12486	12486	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						Bajri 20 mm	40 CFT	30			
						Stone Dust	400 CFT	25.23			
10	VKVNY	नि० लिंक रोड कवृस्थान व सम्शानघाट माजरी भांगला	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	123 - Not mentioned	W/Sand	970 CFT	30	79282.11	79282	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						Bajri 20 mm	110 CFT	30			
						Stone Dust	13080 CFT	25.23			
						Gatka 40mm	480 CFT	17.21			
11	VKVNY	नि० लिंक रोड के साथ राटेनिंग वाल गाँव माजरी	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	124 - Not mentioned	W/Sand	3000 CFT	30	170362	170362	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						Bajri 20 mm	225 CFT	30			
						Gatka 40mm	25 CFT	17.21			
						Cement Carrage	**240**	**NA**			
12	VKVNY	नि० गली सूरत सिंह बाबा दभोटा	VKVNY/2023-24/P/18 - 28.03.2024	HPSCSCL	CS040-23-0453628 - 06.12.2023	Cement	31	343.79	10657	113450	बिल कि राशि से अधिक राशि का भुगतान करना व 10 माह बाद भी राशि का समायोजन ना करना
13	VKVNY	नि० लिंक रोड के साथ राटेनिंग वाल गाँव माजरी	VKVNY/2023-24/P/18 - 28.03.2024	HPSCSCL	Delivery Challan 17624 dt.	Cement	280	348.47	97796		बिना मूल बिल के भुगतान करना व 10 माह उपरान्त जिसका समायोजन नहीं किया गया है
									कुल राशि	**1467765**	

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.8 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 04/2022 के सभी अनुदानों व 03/2024 में 15 वाँ वित्त आयोग के अतिरिक्त सभी अनुदानों में क्रय किये गये ₹14.64 लाख की सामग्री की सूची, जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	शीर्ष	काम का ब्योरा	वा० सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	15TH FC	नि ० टाइल गली मैन सड़क से जगदीश हाउस, दभोटा	XVFC/2022-23/P/4 - 27.04.2022	B.S. TILES	13 - 19.03.2022	Interlock tiles 60mm	12900	13	197686	197886	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
2	15TH FC	नि ० टाइल गली नाथू राम के घर से लिंक रोड तक, माजरी	XVFC/2022-23/P/5 - 27.04.2022	Thakur Tiles Ind.	473 - 17.03.2022	Interlock tiles 80mm	11000	14	181720	181720	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
3	15TH FC	नि० सीवरेज पाइप लिएन सिम्बा बस्ती दभोटा	XVFC/2022-23/P/6 - 27.04.2022	M.S. Enterprises	355 - 29.03.2022	RCC Pipe 200 mm	85	1000	100300	100300	निविदायें प्रस्तुत नही की गई
4	15TH FC	नि० सीवरेज पाइप लिएन SC बस्ती दभोटा	XVFC/2022-23/P/7 - 28.04.2022	M.S. Enterprises	362 - 29.03.2022	RCC Pipe 200 mm RCC Pipe 250 mm	31 54	1000 1250	116230	116230	निविदायें प्रस्तुत नही की गई
5	15TH FC	नि ० टाइल गली मैन सड़क से राम सिंह हाउस, दभोटा	XVFC/2022-23/P/9 - 28.04.2022	R.S. Pipes	1807 - 25.03.2022 1806 - 25.03.2022 1808 - 29.03.2022 1809 - 29.03.2022	Interlock tiles 80mm Interlock tiles 80mm Interlock tiles 80mm Interlock tiles 80mm	3000 3000 3000 3000	14 14 14 14	49560 49560 49560 49560	198240	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
6	OWN	नि० समूदाइक शोचालय नजदीक गुरुद्वारा रतयोड बोदला	OWN/2022-23/P/1 - 29.04.2022	Goyal Traders	004/2022-23 - 06.04.2022	Almunium Doors & Window for bathroom Door	32.50 CFT	280.05	10740	10740	निविदायें प्रस्तुत नही की गई
8	VKVNY	नि० लिंक रोड कव्रृस्थान व सम्शानघाट माजरी भांगला	VKVNY/2023-24/P/16 - 22.03.2024	M/s Choudhary Pipe & Tile Industry	425 - 27.02.2024	Interlock tiles 80mm	17125	14.02	283309	283309	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
9	VKVNY	नि० गली व नाली दर्शन सिंह के घर से मैन रोड दभोटा तक	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	122 - Not mentioned	W/Sand Bajri 20 mm Stone Dust	20 CFT 40 CFT 400 CFT	30 30 25.23	12486	12486	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
10	VKVNY	नि० लिंक रोड कव्रृस्थान व सम्शानघाट माजरी भांगला	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	123 - Not mentioned	W/Sand Bajri 20 mm Stone Dust Gatka 40mm	970 CFT 110 CFT 13080 CFT 480 CFT	30 30 25.23 17.21	79282.11	79282	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
11	VKVNY	नि० लिंक रोड के साथ राटेनिंग वाल गाँव माजरी	VKVNY/2023-24/P/17 - 28.03.2024	B.S. TILES	124 - Not mentioned	W/Sand Bajri 20 mm Gatka 40mm Cement Carrage	3000 CFT 225 CFT 25 CFT 240	30 30 17.21 NA	170362	170362	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
12	VKVNY	नि० गली सूरत सिंह बाबा दभोटा	VKVNY/2023-24/P/18 - 28.03.2024	HPSCSCL	CS040-23-0453628 - 06.12.2023	Cement	31	343.79	10657	113450	बिल कि राशि से अधिक राशि का भुगतान करना व 10 माह बाद भी राशि का समायोजन ना करना
13	VKVNY	नि० लिंक रोड के साथ राटेनिंग वाल गाँव माजरी	VKVNY/2023-24/P/18 - 28.03.2024	HPSCSCL	Delivery Challan 17624 dt.	Cement	280	348.47	97796		बिना मूल बिल के भुगतान करना व 10 माह उपरान्त जिसका समायोजन नहीं किया गया है
									कुल राशि	**1464005**	

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मस्टर रोल की प्रिंटिंग दिनांक को उपस्थिति दिखने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1214.00 कि राशि का अनियमित भुगतान कि सूचि

अदायगी वर्ष	मस्टरोल संख्या	मस्टरोल अवधि	मस्टरोल प्रिंटिंग की दिनांक	प्रिंटिंग दिनांक या उससे पूर्व श्रमिकों को उपस्थिति दिवस	दर (रु०) प्रतिदिन	अधिक व अनियमित अदायगी (रु०)
2023-24	4565	26.02.2024 – 11.03.2024	27.02.2024	27.02.2024 (2 दिन)	153.00	306.00
2023-24	4566	26.02.2024 – 11.03.2024	27.02.2024	27.02.2024 (2 दिन)	214.00	428.00
2023-24	4575	28.02.2024 – 11.03.2024	28.02.2024	28.02.2024 (2 दिन)	240.00	480.00
					कुल राशी	1,214.00

G.R.S
Beeny Kumari

56

परिशिष्ट " ७ ", पैरा संख्या " १.२ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹0.46 लाख के अनियमित भुगतान का पाया जाना

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount
1	C/O DANGA NEAR DHARAM PAL HOUSE (1311004124/IF/32200651)	IF	M.S.ENTERPRISES	331	20/01/2022	17/06/2022	13400.00
2	C/O PASHU SHED /KHURLI SANTOKH SINGH S/O PARDUMAN SINGH (1311004124/IF/32214034)	IF	M.S.ENTERPRISES	330	20/01/2022	17/06/2022	17495.50
3	C/O RAIN WATER HARVESTING TANK KEWAL SINGH S/O BABU RAM (1311004124/IF/32214020)	IF	HP State Civil Supply Corporation, Nalagarh	62324	6/10/2023	29/02/2024	15470.55
TOTAL							**46366.05**

G.R.S
Beena Kumari

-56- 57

परिशिष्ट " 5 ", पैरा संख्या " 10.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सूचि

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली योग्य शेष राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक
1	फकरुदीन	07/05/2022	28/05/2022	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2	सतवीर सिंह	21/04/2022	10/06/2022	400.00	200.00	200.00	125112	20/07/2022
3	जसबंत सिंह	07/02/2023	06/03/2023	200.00	0.00	200.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
4	कुलवीर सिंह	22/02/2023	13/03/2023	50.00	0.00	50.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
5	शीतल सिंह	10/02/2023	15/03/2023	400.00	200.00	200.00	125161	15/03/2023
6	नितीश कश्यप	10/05/2023	28/07/2023	400.00	200.00	200.00	125191	28/17/2023
7	नरोतम	24/09/2023	30/10/2023	400.00	200.00	200.00	125195	30/10/2023
8	सुखदेव सिंह चन्देल	24/09/2023	15/11/2023	400.00	200.00	200.00	125197	15/11/2023
9	नरेद्र कुमार	16/10/2023	16/11/2023	400.00	200.00	200.00	125198	16/11/2023
10	अमनदीप सिंह	19/11/2023	02/12/0223	400.00	200.00	200.00	125002	02/12/2023
11	कमरपाल सिंह	22/10/2023	19/12/2023	400.00	200.00	200.00	125009	उपलब्ध नहीं है
12	जितेंदर कुमार	07/12/2023	20/01/2024	400.00	200.00	200.00	125010	20/01/2024
13	कुश कुमार	22/11/2023	23/01/2024	400.00	200.00	200.00	125011	23/01/2024
14	जमील खान	21/01/2024	11/03/2024	400.00	0.00	400.00	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
15	सुखविंदर सिंह	29/11/2023	15/03/2024	400.00	200.00	200.00	125026	15/03/2024
16	दिग्विजय राणा	20/01/2024	18/03/2024	400.00	200.00	200.00	125028	18/03/2024
17	आशीष कुमार	06/02/2024	20/03/2024	400.00	200.00	200.00	125029	20/03/2024
18	विजय कुमार	18/02/2024	23/03/2024	400.00	200.00	200.00	125030	23/03/2024
कुल राशि				**6450.00**	**2800.00**	**3650.00**		

कुलजीत कुमार

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या "10.2" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दभोटा द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह शुल्क के रूप में ₹ 14,000/- राशि कि वसूली गई राशि जिसे न तो रोकड़ बही में इन्द्राज किया गया व न ही बैंक में जमा करवया गया की सूचि

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	रोकड़ बही पृष संख्या
1	सुमित कुमार	21/04/2022	29/04/2022	200.00	200.00	125106	29/04/2022	उपलब्ध नहीं है
2	सतवीर सिंह	21/04/2022	10/06/2022	400.00	200.00	125112	20/07/2022	उपलब्ध नहीं है
3	दिनेश ठाकुर	19/07/2022	29/07/2022	200.00	200.00	125120	29/07/2022	उपलब्ध नहीं है
4	हरमीत सिंह	01/09/2022	20/09/2022	200.00	200.00	125121	20/09/2022	उपलब्ध नहीं है
5	गुरजीत सिंह	27/09/2022	10/10/2022	200.00	200.00	125122	10/10/2022	उपलब्ध नहीं है
6	गुरदीप सिंह	15/08/2022	20/10/2022	400.00	400.00	125126	20/10/2022	उपलब्ध नहीं है
7	जसविंदर सिंह	04/12/2022	21/12/2022	200.00	200.00	125130	21/12/2022	उपलब्ध नहीं है
8	गोपालकृष्ण	09/12/2022	24/12/2022	50.00	50.00	125133	24/12/2022	उपलब्ध नहीं है
9	गुरप्रीत सिंह	11/12/2022	28/12/2022	200.00	200.00	125135	28/12/2022	उपलब्ध नहीं है
10	पंकज कुमार	02/12/2022	30/12/2022	200.00	200.00	125137	30/12/2022	उपलब्ध नहीं है
11	दीपक कुमार	09/12/2022	05/01/2023	50.00	50.00	125139	05/01/2023	उपलब्ध नहीं है
12	बलकार मोहमद	06/11/2022	16/01/2023	400.00	400.00	125143	16/01/2023	उपलब्ध नहीं है
13	सतवीर सिंह	15/01/2023	18/01/2023	200.00	200.00	125147	18/01/2023	उपलब्ध नहीं है
14	मुहम्द अकरम	27/11/2022	16/02/2023	400.00	400.00	125149	16/02/2023	उपलब्ध नहीं है
15	नरेश कुमार	07/02/2023	20/02/2023	50.00	50.00	125150	20/02/2023	उपलब्ध नहीं है
16	संजीव कुमार	07/02/2023	24/02/2023	200.00	200.00	125151	24/02/2023	उपलब्ध नहीं है
17	जसविंदर सिंह	08/12/2022	27/02/2023	400.00	400.00	125153	27/02/2023	उपलब्ध नहीं है
18	कुलविंदर सिंह	04/12/2022	01/03/2023	400.00	400.00	125154	01/03/2023	उपलब्ध नहीं है
19	जुसफ खान	25/11/2022	13/03/2023	400.00	400.00	125167	10/05/2023	उपलब्ध नहीं है
20	वरिंदर सिंह	22/02/2023	13/03/2023	200.00	200.00	125159	13/3/2023	उपलब्ध नहीं है
21	अमरीक सिंह	22/02/2023	14/03/2023	200.00	200.00	125160	14/03/2023	उपलब्ध नहीं है
22	शीतल सिंह	10/02/2023	15/03/2023	400.00	200.00	125161	15/03/2023	उपलब्ध नहीं है
23	बलदेव सिंह	22/02/2023	18/03/2023	200.00	200.00	125162	18/03/2023	उपलब्ध नहीं है
24	उपेंदर सिंह	22/02/2023	20/03/2023	200.00	200.00	125163	20/03/2023	उपलब्ध नहीं है
25	जसविंदर सिंह	09/03/2023	29/03/2023	200.00	200.00	125164	29/03/2023	उपलब्ध नहीं है
26	कुलविंदर सिंह	23/03/2023	03/04/2023	200.00	200.00	125165	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
27	राम अवतार	22/02/2023	10/05/2023	400.00	400.00	125166	10/05/2023	उपलब्ध नहीं है
28	विशाल दर्याल	03/05/2023	23/05/2023	200.00	200.00	125168	23/05/2023	उपलब्ध नहीं है
29	दलजीत सिंह	03/05/2023	24/05/2023	200.00	200.00	125169	24/05/2023	उपलब्ध नहीं है
30	दीविंदर सिंह	28/05/2023	15/06/2023	200.00	200.00	125175	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
31	अशोक कुमार	16/05/2023	25/07/2023	400.00	400.00	125188	25/07/2023	उपलब्ध नहीं है
32	मोहमद सेन	15/07/2023	28/07/2023	200.00	200.00	125190	28/07/2023	उपलब्ध नहीं है
33	नितीश कश्यप	10/05/2023	28/07/2023	400.00	200.00	125191	28/17/2023	उपलब्ध नहीं है
34	नरोतम	24/09/2023	30/10/2023	400.00	200.00	125195	30/10/2023	उपलब्ध नहीं है
35	मनमीत सिंह	25/09/2023	15/11/2023	400.00	400.00	125196	15/11/2023	उपलब्ध नहीं है
36	सुखदेव सिंह चन्देल	24/09/2023	15/11/2023	400.00	200.00	125197	15/11/2023	उपलब्ध नहीं है
37	नरेंद्र कुमार	16/10/2023	16/11/2023	400.00	200.00	125198	16/11/2023	उपलब्ध नहीं है
38	कृष्णपाल	07/11/2023	28/11/2023	200.00	200.00	125199	28/11/2023	उपलब्ध नहीं है
39	दीनेश कुमार	07/11/2023	29/11/2023	200.00	200.00	125200	29/11/2023	उपलब्ध नहीं है
40	सतपाल सिंह	19/11/2023	04/12/2023	200.00	200.00	125003	04/12/2023	उपलब्ध नहीं है
41	होशियार सिंह	07/12/2023	20/12/2023	200.00	200.00	125007	20/12/2023	उपलब्ध नहीं है
42	भूपेन्द्र सिंह	27/09/2023	02/12/2023	400.00	400.00	125001	02/12/2023	उपलब्ध नहीं है
43	अमनदीप सिंह	19/11/2023	02/12/0223	400.00	200.00	125002	02/12/2023	उपलब्ध नहीं है
44	रमन कुमार	29/11/2023	16/12/2023	200.00	200.00	125005	16/12/2023	उपलब्ध नहीं है
45	प्रदीप कुमार	07/12/2023	19/12/2023	200.00	200.00	125006	19/12/2023	उपलब्ध नहीं है
46	कमरपाल सिंह	22/10/2023	19/12/2023	400.00	200.00	125009	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
47	जितेंदर कुमार	07/12/2023	20/01/2024	400.00	200.00	125010	20/01/2024	उपलब्ध नहीं है
48	कुश कुमार	22/11/2023	23/01/2024	400.00	200.00	125011	23/01/2024	उपलब्ध नहीं है

49	हरिंदर सिंह	23/07/2023	23/01/2024	400.00	400.00	125012	23/01/2024	उपलब्ध नहीं है
50	गुरचरन सिंह	01/02/2024	12/02/2024	200.00	200.00	125018	12/02/2024	उपलब्ध नहीं है
51	सतवीर सिंह	29/11/2023	14/02/2024	400.00	400.00	125019	14/02/2024	उपलब्ध नहीं है
52	दिवाकर चन्देल	04/02/2024	23/02/2024	200.00	200.00	125022	23/02/2024	उपलब्ध नहीं है
53	गगनदीप	13/12/2023	29/02/2024	400.00	400.00	125024	29/02/2024	उपलब्ध नहीं है
54	सुखविंदर सिंह	29/11/2023	15/03/2024	400.00	200.00	125026	15/03/2024	उपलब्ध नहीं है
55	शाहिल खान	18/02/2024	18/03/2024	50.00	50.00	125027	18/03/2024	उपलब्ध नहीं है
56	दिग्विजय राणा	20/01/2024	18/03/2024	400.00	200.00	125028	18/03/2024	उपलब्ध नहीं है
57	आशीष कुमार	06/02/2024	20/03/2024	400.00	200.00	125029	20/03/2024	उपलब्ध नहीं है
58	विजय कुमार	18/02/2024	23/03/2024	400.00	200.00	125030	23/03/2024	उपलब्ध नहीं है
59	हरप्रीत सिंह	03/03/2024	23/03/2024	200.00	200.00	125031	23/03/2024	उपलब्ध नहीं है
60	राज कुमार	12/03/2024	26/03/2024	200.00	200.00	125032	26/03/2024	उपलब्ध नहीं है
कुल राशि				17650.00	14000.00			